

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं प्रोत्साहन उ०प्र०, कानपुर।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- अधिशाषी निदेशक,
उद्योग बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2016

विषय: प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र (कॉमन एप्लीकेशन फार्म) पर आधारित आन लाइन एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक विकास में गति लाने एवं प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति-1998 के अंतर्गत 'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' की संरचना औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 14-12-1998 द्वारा की गई थी। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक इकाई स्थापित करने की स्वीकृतियां व अनापत्तियां निर्गत करने के लिये जिला उद्योग केन्द्र को नोडल कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विभाग की स्वीकृति की समय-सीमा भी निर्धारित की गई एवं इस व्यवस्था में उद्योगों के लिये महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को डीम्ड अप्रूवल का अधिकार दिया गया।

2- उद्योगों हेतु स्वीकृतियों व अनापत्तियों की त्वरित स्वीकृति निर्गत करने के उद्देश्य से एकल मेज व्यवस्था को शासनादेश दिनांक 14-8-2006 द्वारा वेब आधारित एकल मेज व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया। इस आन लाइन व्यवस्था में पूर्व में स्थापित "एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था" को विकेन्द्रीकृत करते हुये संबंधित सभी विभागों को अपने-अपने आवेदन

पत्रों को आन लाईन प्राप्त करने तथा स्वीकृतियों व अनापत्तियां जारी करने की व्यवस्था स्थापित की गई। इस आन लाईन व्यवस्था को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 4-6-2009 द्वारा निवेश मित्र के रूप में नामित किया गया, परन्तु एकल मेज (सिंगल विन्डो व्यवस्था) की परिकल्पना के अनुसार यह व्यवस्था वास्तविक रूप में क्रियान्वित नहीं हो सकी।

3- उद्यमियों को स्वीकृतियां व अनापत्तियां समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो सके तथा एक ही स्थान से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो सके, को दृष्टिगत रखते हुये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 50 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिये सर्वनिष्ठ आवेदन प्रपत्र (कामन एप्लीकेशन फार्म) व्यवस्था शासनादेश सं-265/77-6-16-08(एम)/12 टीसी-8(कैबिनेट), दिनांक 23-2-2016 के द्वारा लागू की गई है।

4- उक्त व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये लघु एवं मध्यम उद्योगों (प्लाण्ट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 25.00 लाख से रु. 10.00 करोड़ तक करने वाली इकाईयों) के लिये सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र (Common Application Form) पर आधारित आन लाईन एकल मेज व्यवस्था (Single Window System) (निवेश मित्र) को निम्नवत क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(1) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अंतर्गत परिभाषित विनिर्माण क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रथम चरण में एकल मेज व्यवस्थान्तर्गत सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र व्यवस्था का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 50प्र0 द्वारा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय स्तर पर इस कार्य के लिये एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी। एकल मेज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न विभागों से अनुमतियां एवं स्वीकृतियां उपलब्ध कराने के लिये संबंधित विभागाध्यक्षों से आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 50प्र0 द्वारा समन्वय कर सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त हेल्प डेस्क द्वारा उद्यमियों अथवा अधिकारियों की नव क्रियान्वित व्यवस्था में आ रही समस्याओं, जिनका समाधान जिले स्तर पर न हो पा रहा हो, के संबंध में भी परामर्श उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को उद्योग बन्धु द्वारा रू0 50 करोड़ अथवा उससे अधिक पूंजी निवेश करने वाली औद्योगिक इकाईयों के लिये प्रचलित एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) (सिंगल विण्डो सिस्टम) के अन्तर्गत समुचित संशोधन करते हुये सर्वनिष्ठ आवेदन प्रारूप के माध्यम से विभागीय अनुमतियां, अनापत्तियां, पंजीयन, लाइसेंस आदि निर्गत करने हेतु आन लाईन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। संबंधित विभागों से समन्वय का कार्य संपादित करने हेतु जिला स्तरीय उद्योग बन्धु प्राधिकृत संस्था होगी एवं प्रस्तावित व्यवस्था के

प्रभावी अनुश्रवण का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय 30प्र0 का होगा। इस कार्य हेतु आवश्यक एडमिन यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपायुक्त, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र तथा आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों को उद्योग स्थापना हेतु समस्त विभागीय अनुमतियां, अनापत्तियां, पंजीयन, लाइसेंस आदि प्राप्त करने हेतु विषयगत व्यवस्था के वेब पोर्टल पर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(5) लघु एवं मध्यम उद्यम औद्योगिक इकाईयों के अनुरूप सर्वनिष्ठ आवेदन प्रारूप में तथा वेब पोर्टल में यथोचित परिवर्तन करते हुये समेकित रूप में वेब-डेवलपर के माध्यम से विकसित कराकर अपलोड किया जायेगा। इस कार्य हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उद्योग बन्धु के माध्यम से आवश्यकतानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

(6) लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों द्वारा वेबसाइट पर आन-लाइन, कॉमन एप्लीकेशन फार्म भरकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रिण्ट आउट की एक प्रति भेजी जायेगी। उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र सभी विभागों से समन्वय बनाकर जिला उद्योग बन्धु के माध्यम से आवश्यक स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां इकाई को उपलब्ध करायेंगे। उद्यमी द्वारा विभागीय वेबसाइट पर फार्म भरने के पश्चात निवेश मित्र की वेबसाइट द्वारा Webservice के माध्यम से श्रम विभाग से संबंधित Fields (जिसकी सूचना श्रम विभाग द्वारा दी जायेगी) के माध्यम से uplabouracts.in पर प्रसारित कर दी जायेगी।

(7) विषयगत व्यवस्था के अन्तर्गत आवेदन करने पर संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के ऑन लाइन भुगतान यथा- इन्टरनेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किये जाने हेतु "पेमेंट गेट-वे" की सुविधा अनुमन्य करते हुये, सार्वजनिक क्षेत्र एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित शैड्यूल्ड बैंक से भुगतान प्राप्त करने/भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(8) विषयगत व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि जैसा कि जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 27-11-2013 एवं 26-12-2014 में उद्योगों के लिये प्राविधानित है तथा संबंधित विभाग के अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार समयबद्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(9) सर्वनिष्ठ आवेदन प्रपत्र के माध्यम से स्वीकृतियों को प्राप्त करने हेतु आन लाइन प्रार्थना पत्रों में, आवेदन किये जाने पर संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में एक बार में ही समस्त

प्रकार की पृच्छायें की जायेंगी। सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र (Common Application Form) की व्यवस्था आबकारी विभाग पर प्रभावी नहीं होगी।

(10) सर्वनिष्ठ आवेदन पत्र (कॉमन एप्लीकेशन फार्म) पर आधारित ऑन लाइन एकल मेज व्यवस्था (निवेश मित्र) के अंतर्गत समय-समय पर आच्छादित विभाग अथवा नये विभाग की सेवाओं को बढ़ाने अथवा संशोधित करने के साथ उन विभागों की सम्मिलित सेवाओं की शर्तों एवं शुल्क में किये गये संशोधन इस व्यवस्था से आच्छादित माने जायेंगे।

(11) विभागों द्वारा जारी किये जाने वाली अनुमति, अनापत्ति, लाइसेंस की प्रति जिला स्तरीय उद्योग बन्धु को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। जिला स्तरीय उद्योग बन्धु द्वारा जारी की गयी अनुमति, अनापत्ति, लाइसेंस की प्रति पर Unique Code अंकित करते हुये संबंधित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के डिजीटल हस्ताक्षर (Digital Signature) के साथ वेब-साइट पर अपलोड किया जायेगा जिसको उद्यमी अपने कार्यालय में स्वतः ही डाउनलोड (download) कर सकेगा। चूंकि जारी की गयी अनुमति, अनापत्ति, लाइसेंस डिजिटली हस्ताक्षरित (Digitally Signed) होंगे अतः उस अनुमति, अनापत्ति, लाइसेंस आदेश की प्रतियों पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता अनुरूप सूचनायें वेब पर पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध होंगी जिससे सभी स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

(12) वेब-साइट पर यह भी व्यवस्था की जायेगी कि अनुमति, अनापत्ति, लाइसेंस के लिये जारी Unique Code का प्रयोग कर प्रमाण-पत्र को किसी भी समय वेब-साइट पर सत्यापित (Verify) किया जा सके।

(13) लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के विभिन्न प्रकार के क्लीयरेन्स का प्रभावी अनुश्रवण जिला उद्योग बन्धु द्वारा जिला स्तर पर किया जायेगा जिसके लिये प्रत्येक विभाग के स्तर पर लम्बित आवेदनों का अनुश्रवण करने के लिये अतिरिक्त यूजर नेम व पासवर्ड उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे प्रत्येक विभाग में क्लीयरेन्सेज की गति को मानिटर करने के साथ ही साथ निहित समयावधि में स्वीकृतियां प्रदान की जा सके। यदि निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त भी इकाई को क्लीयरेन्स नहीं प्राप्त होता है तो इसे जिला उद्योग बन्धु की बैठक में जिला अधिकारी के समक्ष रखते हुये जिला उद्योग बन्धु द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आवेदन पत्रों को गतिमान कर (Expedite) स्वीकृति (Sanction)/क्लीयरेन्स प्रदान की जायेगी।

(14) उपर्युक्त व्यवस्था के प्रभावी संचालन तथा समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा:-

मुख्य सचिव

- अध्यक्ष

प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/वाणिज्य कर/ऊर्जा/गृह एवं अग्निशमन/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन/वन/पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन/नगर विकास/श्रम विभाग) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं - सदस्य सचिव (समन्वयक)
उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0

5- उक्त नीति के संबंध में किसी प्राविधान का संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण शासन द्वारा सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्राविधानित व्यवस्था अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 5- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 6- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से

अखिलेश कुमार
विशेष सचिव।